झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400852, 2400851, फैक्स : 0651– 2400850

पत्रांकः– PC/PH/RNC/01/2017- 4203 राँची, दिनांक 17.10.17

प्रेषक,

संजय कुमार सुमन,
सदस्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषयः **झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का एक सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में M/S Kanhar Barrage Project, At- Khuri, Distt.- Garhwa, Jharkhand की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई संबंधी।**

महाशय,

निदेशानुसार उपयुर्क्त विषयक प्रसंग में इस पर्षद से संबंधित संलग्न सूचना को निम्नलिखित स्थानीय समाचार पत्रों में जो **गढ़वा** जिला में पढ़ा जा सके, दर्शाये गये तिथि के अनुसार डी०ए०भी०पी० दर पर प्रकाशन कराया जाय। विज्ञापन सामग्री की एक सॉफ्ट कॉपी भी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

1. प्रभात खबर, गढ़वा संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि **21.10.2017**
2. हिन्दुस्तान टाईम्स, दिल्ली एवं राँची संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि **21.10.2017**

कृपया दर्शाये गये तिथि को (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ को छोड़कर) 10cmx12cm में उपरोक्त दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन सुनिश्चित किया जाय। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् विज्ञापित सामग्रियों की दो दो प्रति विपत्र के साथ संलग्न कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। विज्ञापन का भुगतान डी०ए०भी०पी० दर पर किया जायेगा।

अनु0ः– यथोपरि।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार सुमन)
सदस्य सचिव।

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400852, 2400851, फैक्स : 0651– 2400850

लोक सुनवाई की सूचना

M/S Kanhar Barrage Project, At- Khuri, Distt.- Garhwa, Jharkhand द्वारा River Valley and Hydro-Electric Project के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि दिनांक **25.11.2017 (दिन–शनिवार)** को पूर्वाहन् **11.00** बजे **'Vill.- Khuri, Block- Chiniya, Distt.- Garhwa, Jharkhand'** में निर्धारित की गई है।

उक्त योजना से सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग लें एवं अपने विचार से अवगत करायें। इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मंतव्य अथवा आपत्ति यदि हो तो लिखित रूप से सूचना उक्त लोक सुनवाई की तिथि से **एक सप्ताह के पूर्व** तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, **गढ़वा**, पर्षद के **क्षेत्रीय कार्यालय**, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, क्षेत्रीय कार्यालय, **राँची** में उपलब्ध करा दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आइ०ए० अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या एस0ओ03067(ई०) दिनांक 01.12.09 के अनुरूप होगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा इसके सारांश की एक एक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यकारी सारांश भी इन कार्यालयों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

1. उपायुक्त कार्यालय, **गढ़वा** ।
2. जिला उद्योग केन्द्र, **गढ़वा** ।
3. जिला पर्षद्/नगर निगम **गढ़वा** ।
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, **राँची**।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, क्षेत्रीय कार्यालय, **राँची**।
6. संबंधित पंचायत।
7. संबंधित प्रखण्ड विकास पदा०/अंचलाधिकारी कार्यालय, **गढ़वा**।

(संजय कुमार सुमन)
सदस्य सचिव।

Tirkey/Public Hearing/Ranchi Region/**14**